



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]
No. 2]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2008/पौष 21, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2008/PAUSA 21, 1929

भारतीय दन्त परिषद्

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2008

सं. डीई-22-2007.—दन्त अधिनियम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति के साथ भारतीय दन्त परिषद् द्वारा भाग-III, खण्ड 4 में तारीख 10 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित संशोधित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम विनियम 2007 में निम्न संशोधन कर रहा है।

1. लघु शीर्ष और प्रारम्भ.—(i) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद् संशोधित बी.डी.एस. पाठ्यक्रम विनियम (संशोधन) 2007 कहा जा सकता है।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

शीर्षक -

आधारभूत सुविधाएं एवं कार्यात्मक आवश्यकताएं
50 दाखिला

- (i) संख्या नं. 17 आडीटोरियम के स्थान पर :
-संख्या नं. 17 आडीटोरियम का प्रतिस्थापन करके संख्या 16. आडीटोरियम कर दिया जाए।
- (ii) संख्या नं. 18. प्रयोगशालाएं के स्थान पर :
-संख्या नं. 18. प्रयोगशालाएं का प्रतिस्थापन करके संख्या 17. प्रयोगशालाएं कर दिया जाए।

139 GI/2008

(iii) प्रतिस्थापन संख्या, संख्या नं. 17 प्रयोगशालाएं के स्थान पर :

II. मेडिकल विषय :

- (ख) क्षेत्र-1500 वर्ग फुट कथन के बाद-"प्रत्येक विषय के लिए" जोड़ दिया जाए।
- (ग) क्षेत्र-1500 वर्ग फुट कथन के बाद-"प्रत्येक विषय के लिए" जोड़ दिया जाए।
- (iv) संख्या नं. 16. आसवित जल संयंत्र के स्थान पर :
-संख्या नं. 16. आसवित जल संयंत्र का प्रतिस्थापन करके संख्या 18. आसवित जल संयंत्र कर दिया जाए।
- (v) प्रतिस्थापन संख्या 18. आसवित जल संयंत्र के बाद निम्न टिप्पणी को जोड़ दिया जाए।

"टिप्पणी : डीसीआई विनियम 2006 के अनुसार छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर के अलावा दन्त कालेज भवन का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र प्रथम वर्ष में 30,000 वर्ग फुट और तृतीय वर्ष, में 50,000 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए।

शीर्षक -

100 दाखिला

(i) संख्या नं. 17 प्रयोगशालाएं के स्थान पर :

II. मेडिकल विषय :

- (ख) क्षेत्र-2500 वर्ग फुट कथन के बाद-"प्रत्येक विषय के लिए" जोड़ दिया जाए।

(1)

(ग) क्षेत्र-2500 वर्ग फुट कथन के बाद-"प्रत्येक विषय के लिए" जोड़ दिया जाए।

(ii) प्रतिस्थापन संख्या 18 आसक्ति जल संयंत्र के बाद निम्न टिप्पणी को जोड़ दिया जाए।

"टिप्पणी : डीसीआई विनियम 2006 के अनुसार छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर के अलावा दन्त कालेज पवन का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र प्रथम वर्ष में 60,000 वर्ग फुट और तृतीय वर्ष, में 1,00,000 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए।

[विज्ञापन III/4/असल/98/07]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी.एन. अवस्थी, सचिव

DENTAL COUNCIL OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th January, 2008

No.DE-22-2007.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Amendments to the Revised BDS Course Regulations published in Part III, Section 4 of Government of India Gazette dated 10th September, 2007.

1. Short title and commencement.—(i) These Regulations may be called the Dental Council of India Revised BDS Course Regulations (Amendments) 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Title —

INFRASTRUCTURE & FUNCTIONAL REQUIREMENTS

50 ADMISSIONS

(i) Against Serial No. 17 Auditorium:

- Delete the word Serial No. 17. Auditorium: and substitute by 16. Auditorium:

(ii) Against Serial No. 18. Laboratories:

- Delete the word Serial No. 18. Laboratories: and substitute by 17. Laboratories:

(iii) After the substituted Serial No. 17. Laboratories:

II. Medical subjects:

(b) After the words Area - 1500 sq. ft. add the words "for each subject"

(c) After the words Area - 1500 sq. ft. add the words "for each subject"

(iv) Against Serial No. 16. Distilled Water Plant

- Delete the word Serial No. 16. Distilled Water Plant and substitute by 18. Distilled Water Plant

(v) After the substituted Serial No. 18. Distilled Water Plant -

Add the following Note :—

"Note: Minimum built up area of the dental college building other than Hostel and Staff Quarters should not be less than 30,000 sq. ft. in 1st Year and 50,000 sq. ft. in 3rd Year as per DCI Regulations, 2006."

In the Title 100 ADMISSIONS

(i) Against Serial No. 17. Laboratories:

II. Medical subjects:

(b) After the words Area - 2500 sq. ft. add the words "for each subject"

(c) After the words Area - 2500 sq. ft. add the words "for each subject"

(ii) After the Serial No. 18. Distilled Water Plant -

Add the following Note :—

"Note: Minimum built up area of the dental college building other than Hostels and Staff Quarters should not be less than 60,000 sq. ft. in 1st Year and 1,00,000 sq. ft. in 3rd Year as per DCI Regulations, 2006."

[ADVT. III/4/Exty/98/07]

Maj. Gen. (Retd.) P. N. AWASTHI, Secy.